भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 428
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका की वित्तीय स्वायत्तता

428 डा. अजित माधवराव गोपछडे :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
20 सितम्बर, 2001 को प्रस्तुत भारतीय न्यायपालिका की वित्तीय स्वायत्तता पर राष्ट्रीय आयोग के परामर्श पत्र, जिसमे न्यायिक प्रणाली के आवश्यक तत्वों जैसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा न्यायपालिका के व्यय की निगरानी की आवश्यकता तथा नीति निर्माण, बजट और कार्यान्वयन के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और राज्य न्यायिक परिषदों के गठन का प्रस्ताव पर प्रकाश डाला गया है, जो यह दर्शाता है कि न्यायपालिका के लिए अंतिम बजट संसद या संबंधित राज्य विधानसभाओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, के प्रत्युत्तर में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

संविधान और अन्य विधियों में पर्याप्त उपबंध है, जो न्यायपालिका की स्वायत्ता और स्वतंत्र प्रकृति की रक्षा करते है और न्याय तक प्रभावी पहुंच के लिए इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हैं।

****